उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या : 6/2024/303/94-1-2024-312(32)/2022
लखनऊ, दिनांक : 27 फरवरी, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से:-

(1) नीचे अनुसूची-क एवं ख में दिए गये राजस्व ग्रामों/मुहल्लों को सम्मिलित कर जिला वाराणसी के निबन्धन उप जिला ''रामनगर'' की सीमाओं में परिवर्तन करती हैं; तथा

(2) नीचे अनुसूची-क एवं ख में दिये गये राजस्व ग्रामों/मुहल्लों के क्षेत्रों को क्रमश: अपवर्जित कर निबन्धन उप जिला 'सदर-2 व सदर-4' की सीमाओं में परिवर्तन करती हैं :-

अनुसूची-क

निबन्धन उप-जिला सदर-2 से अपवर्जित किये गये तथा निबन्धन उप-जिला रामनगर में सम्मिलित किये गये ग्रामों/मुहल्लों की सूची :-

1-	अस्सी	2-	क्रीमकुण्ड	3-	गौरीगंज
4-	जवाहर नगर हनुमानपुरा	5-	दुर्गाकुण्ड	6-	भोगाबीर
7-	भदैनी	8-	मालतीबाग	9-	रविन्द्रपुरी कॉलोनी
10-	शिवाला	11-	अवधगर्बी	12-	घसियारीटोला
13-	डुमरावबाग	14-	संकटमोचन	15-	लंका
16-	खोजवां	17-	नईबाज़ार	18-	किरहिया
19-	कश्मीरीगंज	20-	शंकुलधारा	21-	बी०एच०यू०

अनुसूची-ख

निबन्धन उप-जिला सदर-4 से अपवर्जित किये गये तथा निबन्धन उप-जिला रामनगर में सम्मिलित किये गये ग्राम/मुहल्ला की सूची

1-	नगवां (मुहल्ला-नगवां)

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने अभी तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 6/2024/303/94-1-2024-312(32)/2022 दिनांक : 27 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 27 फरवरी, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या : 6/2024/303/94-1-2024-312(32)/2022 दिनांक : 27 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र०, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र०, लखनऊ।
6. महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
8. जिलाधिकारी, वाराणसी।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबंधक, वाराणसी।
10. उप महानिरीक्षक निबंधन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
11. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, वाराणसी।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 6/2024/303/94-1-2024-312(32)/2022, dated 27 February, 2024:

Notification

No. 6/2024/303/94-1-2024-312(32)/2022
Lucknow; Dated : 27 February, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette is pleased to,—

(1) alter the limits of registration sub-district "Ramnagar" in district Varanasi by including revenue villages/muhallas given in the Schedule-A and B below; and

(2) alter the limits of registration sub-district Sadar-2 and Sadar-4 by excluding the areas of revenue villages/muhallas given in the Schedule-A and B below respectively :-

Schedule-A

List of Villages/Muhallas being excluded from Registration sub-district Sadar-2 and being included in Registration sub-district Ramnagar

1	ASSI	2	KRIMKUND	3	GAURIGANJ
4	JAWAHAR NAGAR HANUMANPUR	5	DURGAKUND	6	BHOGABEER
7	BHADAINI	8	MALTIBAGH	9	RAVINDRAPURI COLONY
10	SHIVALA	11	AWADHGARBI	12	GHASIYARITOLA
13	DUMRAOBAGH	14	SANKATMOCHAN	15	LANKA
16	KHOJWA	17	NAIBAZAR	18	KIRAHIYA
19	KASHMIRIGANJ	20	SHANKULDHARA	21	B.H.U.

Schedule-B

List of Village/Muhalla being excluded from Registration sub-district Sadar-4 and being included in Registration sub-district Ramnagar

1	NAGAWA (MOHALLA-NAGAWA)

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।